केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

सं.सी-35011/01/2010-प्रशा.(का.) **दिनांकः 23.06.2010**

परिपत्र

यह पाया गया है कि कर्मचारियों ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपनी प्रारम्भिक सेवा के समय जो आश्रितों की सूची प्रस्तुत की थी, उसे काफी समय बीत जाने के बाद भी संशोधित नहीं किया गया है, जिसे अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवार के सदस्यों के लिए रियायतों का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को अपने माता-पिता/बच्चों की उन पर आश्रित होने का घोषणा-पत्र वर्ष के प्रारम्भ में प्रस्तुत करना होता है।

यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्यों की सूची की समीक्षा करके उसे संलग्न प्रपत्र में अद्यतन किया जाय। प्रपत्र में विधिवत भरी गई सूचना अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण, यदि आवश्यक हो, के साथ इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाय। यह उनके पारिवार के आश्रित सदस्यों को रियायत प्रदान करने में प्रशासन अनुभाग को सुलभ होगा।

यह परिपत्र, सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(आर.डी. पाण्डेय)
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सेवा में,

सभी प्रभाग प्रभारी/अनुभाग प्रभारी मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - कृपया इसे अपन अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों में परिचालित करें।

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के निजी सचिव
2. सदस्य सचिव के निजी सचिव
3. सूचनापट्ट परिवेश के सभी तल

(आर.डी. पाण्डेय)
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)